



जनहित प्रकटीकरण और मुखबिर संकल्प सुरक्षा पर जागरूकता(पीआईडीपीआई)

## **AWARENESS on Public Interest Disclosure and Protection of Informers Resolution (PIDPI)**



**केन्द्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान**

Central Tasar Research and Training Institute

(केन्द्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार)

(Central Silk Board, Ministry of Textiles, Govt. of India)

पिस्का-नगड़ी, राँची – 835303 (झारखण्ड)

Piska-Nagri, Ranchi – 835303 (Jharkhand)





**जनहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण संकल्प 2004**

**PUBLIC INTEREST DISCLOSURE AND PROTECTION OF INFORMER RESOLUTION, 2004 (PIDPI)**

**क्या आपके आस-पास भ्रष्टाचार है ?**

**IS THERE CORRUPTION AROUND YOU?**

**पीआईडीपीआई के तहत शिकायत दर्ज करें  
LODGE A COMPLAINT UNDER PIDPI**

**आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी  
Your Identity Shall Be kept Confidential**

**सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की पहल  
A VIGILANCE AWARENESS WEEK 2023 INITIATIVE**

**शिकायतें लिखित रूप में भेजें SEND COMPLAINTS IN WRITING TO  
सचिव, SECRETARY**

**केंद्रीय सतर्कता आयोग, CENTRAL VIGILANCE COMMISSION**

**सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए, SATARKTA BHAVAN, BLOCK-A**

**जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, GPO, COMPLEX, INA,**

**नई दिल्ली-110023 NEW DELHI- 110023**

**(लिफाफे पर पीआईडीपीआई अंकित करें) (MARK THE ENVELOPE AS PIDPI)**

**शिकायतें केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ होनी चाहिए, जिनमें पीएसयूएस, पीएसबी और यूटीएस आदि शामिल हैं**

**COMPLAINTS SHOULD BE ONLY AGAINST CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES, INCLUDING PSUs, PSBs AND UTs etc.**



## पीआईडीपीआई शिकायतें:

### PIDPI COMPLAINTS:

सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण समाधान के तहत की गई शिकायतों को पीआईडीपीआई शिकायत कहा जाता है।

Complaints made under Public Interest Disclosure and Protection of Informer Resolution are termed as PIDPI Complaints.

यदि पीआईडीपीआई के तहत कोई शिकायत की जाती है, तो शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है।

If any complaint is made under PIDPI, the identity of the complainant is kept confidential.

शिकायत को इस पते पर भेजा जाना चाहिए :

The complaint should be addressed to:

सचिव, secretary

केंद्रीय सतर्कता आयोग, central vigilance commission

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए, satarkta bhavan, block-a

जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, gpo, complex, INA,

नई दिल्ली-110023 new Delhi- 110023

लिफाफे को "पीआईडीपीआई" के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए)

(Envelope should be marked as "PIDPI")

केवल केंद्र सरकार के अधिकारियों (पीएसबी, पीएसयू और केंद्र शासित प्रदेशों सहित) के खिलाफ शिकायतों को संज्ञान में लिया जाएगा।

Only complaints against Central Government official (including PSBs, PSUs and UTs) will be taken into cognizance.

अधिक विवरण के लिए जाएँ

<http://www.cvc.gov.in>.

For more details visit

<http://www.cvc.gov.in>.

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की एक पहल

A VIGILANCE AWARENESS WEEK 2021 INITIATIVE



### अस्वीकरण /Disclaimer

- ❖ इस पुस्तिका का उद्देश्य केवल पीआईडीपीआई शिकायतों पर जागरूकता पैदा करना है।  
This booklet is intended solely for creating awareness on PIDPI Complaints
- ❖ सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए गए हैं। किसी भी अनजाने त्रुटि या संदेह के लिए DoPT/CVC द्वारा जारी किये गए प्रासंगिक समाधान और विभिन्न परिपत्र/ओएमएस को संदर्भित किया जा सकता है।

All necessary efforts have been made to provide accurate and updated information. For any inadvertent error or doubt, the relevant resolution and various circulars/OMS issued by DoPT/CVC may be referred.

## विषयसूची/Table of Contents

विवरण/Description	पृष्ठ संख्या /Page Number
परिचय / Introduction	6
क्या है भ्रष्टाचार/ What is Corruption	8
शिकायत कहाँ करे/ Where to Complain	10
शिकायत कैसे करे/ How to Complain	11
नमूना पत्र/ Sample Letter	14
टालने योग्य बातें/ Things to be Avoided	15
पीआईडीपीआई की उत्पत्ति/ Genesis of PIDPI	17
पीआईडीपीआई को संभालने की प्रक्रिया/ Procedure for Handling PIDPI	19
मुखबिर का संरक्षण/ Protection to Whistle Blower	21
सारांश/ Summary	24
महत्वपूर्ण परिपत्रों की सूची/ List of Important circulars	25

## पीआईडीपीआई-सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिरों का संरक्षण संकल्प PIDPI-Public Interest Disclosure and Protection of Informers Resolution

### परिचय/Introduction

देश के लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा करने में नागरिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए और उन्हें लोकतंत्र द्वारा प्रदत्त शक्ति का एहसास होना चाहिए। भारत का प्रत्येक नागरिक सतर्क रहने और सुशासन के लिए योगदान देने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

Citizens play an important role in protecting the democratic setup of the country. Citizens shall remain vigilant and must realize the power bestowed on them in a democracy. Every citizen of India is duty bound to be vigilant and to contribute towards good governance.

नागरिकों को सिस्टम में भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में, नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए और बिना किसी हिचकिचाहट या उत्पीड़न के डर के शिकायत के बारे में जानकारी देनी चाहिए।

Citizens may come across corruption or misuse of office in the system. In such a situation, the citizens should be vigilant and submit the complaint or information without any hesitation or fear of victimization.

नागरिक किसी भी उत्पीड़न की चिंता किए बिना पीआईडीपीआई के रूप में जानकारी प्रदान करने के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायतकर्ता और/या सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाती है।

Citizen can lodge a complaint or provide information in the form of PIDPI without being worried of any harassment. The identity of the complainant and/ or informer is kept secret.

संकल्प यह सुनिश्चित करता है कि शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता को किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए।

Resolution ensures that harassment of any kind should not happen to the complainant/informer.

पीआईडीपीआई शिकायत निम्नलिखित कर्मचारी के खिलाफ दर्ज की जा सकती है:  
**PIDPI complaint may be filed against the employee of:**

क) केंद्र सरकार।

Central Government

ख) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम।

Central Public Sector Enterprises

ग) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक।

Public Sector banks

घ) किसी भी केंद्रीय अधिनियम के तहत स्थापित निगम।

Corporation established by or under any Central Act

ड) केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रित सरकारी कंपनियां, सोसायटी या स्थानीय प्राधिकरण

Government companies, societies or local authorities owned or controlled by the Central Government.



भ्रष्टाचार क्या है?

**What is Corruption?**



- ❖ रिश्तखोरी (देना/लेना) / Bribery (Give/Take).
- ❖ भाई-भतीजावाद / Nepotism.
- ❖ किसी को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर की गई कार्रवाई या निष्क्रियता / Willful action or inaction to benefit someone.
- ❖ किसी को लाभ न पहुंचाना (ज्ञात या अज्ञात) / Willful action or inaction to deny benefit to someone (known or unknown).
- ❖ पक्षपात / Favoritism.
- ❖ किसी को अप्रत्याशित लाभ पहुंचाने वाली निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने में विफलता / Failure to follow laid down processes leading to unintended benefit to someone
- ❖ पात्र को लाभ से वंचित करना / Denial of benefit to the deserving.
- ❖ जानबूझकर घोर लापरवाही / Gross or willful negligence.
- ❖ निर्णय लेने में लापरवाही / Recklessness in decision making.
- ❖ प्रणालियों और प्रक्रियाओं का घोर उल्लंघन / Blatant violations of systems and procedures

सूची जारी है.....

**The list continues .....**

- ❖ आवश्यकता से अधिक विवेक का प्रयोग , जहां कोई भी सार्वजनिक हित स्पष्ट नहीं है।  
Exercise of discretion in excess, where no ostensible public interest is evident.
- ❖ नियंत्रण प्राधिकारी/वरिष्ठों को आवश्यक लेन-देन और मुद्दों की समय पर जानकारी रखने में विफलता।  
Failure to keep the controlling authority /superiors informed of required transactions and issues in time.
- ❖ किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या दलों को अनुचित हानि या सहवर्ती लाभ का कारण  
Cause of undue loss or a concomitant gain to an individual or a set of individuals or a party or parties.
- ❖ हेराफेरी, जालसाजी, धोखाधड़ी, चोरी या अन्य समान अपराधों के मामले।  
Cases of misappropriation, forgery, fraud, theft or cheating or other similar offences.
- ❖ आय के ज्ञात स्रोतों से अनुपातहीन संपत्तियों का कब्जा।  
Possession of assets disproportionate to the known sources of income.
- ❖ किसी आधिकारिक कार्य के संबंध में या किसी अन्य अधिकारी के साथ अपने प्रभाव का उपयोग करने के लिए कानूनी पारिश्रमिक के अलावा अन्य संतुष्टि की मांग करना और/या स्वीकार करना  
Demanding and/or accepting gratification other than legal remuneration in respect of an official act or for using his influence with any other official.
- ❖ किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके साथ उसका आधिकारिक व्यवहार है या उसके आधिकारिक व्यवहार होने की संभावना है या उसके अधीनस्थ के पास आधिकारिक व्यवहार होने की संभावना है या जहां वह प्रभाव डाल सकता है, बिना सोचे-समझे या अपर्याप्त विचार के मूल्यवान वस्तु प्राप्त करना  
Obtaining valuable thing, without consideration or with inadequate consideration from a person with whom he has or is likely to have official dealings or his subordinates have official dealings or where he can exert influence.
- ❖ भ्रष्ट या अवैध तरीकों से या लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करना।  
Obtaining for himself or for any other person any valuable thing or pecuniary advantage by corrupt or illegal means or by abusing his position as a public servant.
- ❖ कार्यालय या पद का दुरुपयोग। Misuse of office or position.

शिकायत कहाँ करें :

## WHERE TO COMPLAIN:



शिकायत को इस पते पर भेजा जा सकता है:

सचिव,  
केंद्रीय सतर्कता आयोग,  
सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,  
जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए,  
नई दिल्ली-110023

### Complaint may be addressed to:

The Secretary,  
Central Vigilance Commission,  
Satarkta, Bhavan, Block-A,  
GPO Complex, INA,  
New Delhi - 110 023.

नमूना लिफाफा:

### Sample Envelope



## पीआईडीपीआई के तहत शिकायत कैसे करें:-

### How to complain under PIDPI

- ❖ शिकायत बंद/सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए।  
The complaint should be in a closed / secured envelope.
- ❖ लिफाफे के ऊपर "पीआईडीपीआई" या "सार्वजनिक हित प्रकटीकरण के तहत शिकायत" लिखा होना चाहिए।  
The envelope must be superscribed as "PIDPI" or "Complaint under The Public Interest Disclosure".
- ❖ शिकायतकर्ता को संलग्न पत्र में शिकायत के आरंभ या अंत में अपना नाम और पता का उल्लेख करना चाहिए।  
The complainant should mention his/her name and address in the beginning or end of complaint or in an attached letter.
- ❖ लिफाफे पर नाम और पता का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।  
The name and address should NOT be mentioned on the envelope.
- ❖ शिकायतें केवल डाक के माध्यम से भेजी जानी चाहिए।  
Complaints should be sent via post only.
- ❖ ईमेल, शिकायत प्रबंधन पोर्टल, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।  
Complaints received through emails, Complaint Management Portal of CVC or any other electronic medium will not be entertained.
- ❖ शिकायत का पाठ इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि शिकायतकर्ता की पहचान का कोई विवरण या सुराग न मिले।  
The text of the complaint should be drafted so as not to give any details or clue of identity of complainant.
- ❖ शिकायत का विवरण या सामग्री विशिष्ट और सत्यापन योग्य होनी चाहिए।  
The details or content of the complaint should be specific and verifiable.
- ❖ यदि उपलब्ध हो तो शिकायतकर्ता सहायक दस्तावेज भी संलग्न कर सकता है।  
Complainant can also attach supporting documents, if available.



नमूना पत्र

**Sample Letter:**

To,  
The Secretary,  
Central Vigilance Commission  
Satarkta Bhavan, Block-A,  
GPO Complex, INA,  
New Delhi - 110 023.

Sub: .....

Content.....

.....

.....

.....

.....

Thank You.

Yours Sincerely

-Signature-

Name: XYZ

Address: 41 MG Road, Shastri Nagar,

New Delhi-110 0XX



पिछले पृष्ठ में उल्लिखित नमूना पत्र जांच के लिए नीचे दी गई प्रारूप में जाँच के लिए CVC द्वारा CBI/CVO को भेजा जाएगा (नाम और पता छिपाकर)

**Sample letter mentioned in the previous page will be sent by the eve to CBI/Cvo for investigation in format below (by hiding name and address)**

To,  
The Secretary,  
Central Vigilance Commission  
Satarkta Bhavan, Block-A,  
GPO Complex, INA,  
New Delhi - 110 023.

Sub: .....

Content.....

.....  
.....  
.....  
.....

Thank You.  
Yours Sincerely

**Hidden**

आपका नाम और पता CVC द्वारा प्रकट नहीं किया जाता है और वह जांच एजेंसी यानी Cvo/CBI तक नहीं पहुंचेगा।  
**Your Name and address are not disclosed by the cvc and will not reach the investigating agency i.e.cvo/CBI**

## टाली जाने वाली चीज़ें

### THINGS TO BE AVOIDED

- ❖ अनाम/छद्म नाम वाली शिकायतें नहीं भेजी जानी चाहिए।  
Anonymous/pseudonymous complaints should not be sent.
- ❖ शिकायत में सामान्य सामग्री से बचना चाहिए। यह घटना/घटनाओं के लिए विशिष्ट होनी चाहिए।  
Generic content in complaint should be avoided. It should be specific to the incident/ s.
- ❖ सामान्य शिकायत का उदाहरण (टालना) :  
Example of generic complaint (to be avoided):
  - "एबीसी विभाग में हो रही करोड़ों रुपयों की लूट"  
"Loot of crores of rupees taking place in ABC department"
  - "एबीसी अनुभाग में प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया है"  
"Procedures are violated in ABC section".
- ❖ शिकायत शिकायत निवारण के लिए नहीं होनी चाहिए।  
Complaint should not be for grievance redressal.
- ❖ शिकायतकर्ता को अपनी पहचान का खुलासा करने से बचने के लिए किसी अन्य एजेंसी के पास वही शिकायत दर्ज नहीं करनी चाहिए।  
Complainant should not file same complaint with any other agency to avoid disclosure of his/her identification.
- ❖ शिकायतें किसी को परेशान करने के इरादे से प्रेरित या परेशान करने वाली नहीं होनी चाहिए।  
The complaint should not be motivated or vexatious with intention to harass anyone.
- ❖ पीआईडीपीआई के तहत शिकायत कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज नहीं की जा सकती  
Complaint under PIDPI cannot be lodged against the employees of
  - राज्य सरकारें।  
State Governments.
  - राज्य सरकारों द्वारा स्थापित निगम  
Corporations established by State Governments

## पीआईडीपीआई की उत्पत्ति

### GENESIS OF PIDPI

2004 में, श्री सत्येन्द्र दुबे की हत्या के बाद दायर एक रिट याचिका (सिविल) संख्या 539/2003 के जवाब में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि मुखबिरकी शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए मशीनरी को उचित तरीके से अधिनियमित किया जाए। उसके अनुसार, भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या 371/12/2002-एवीडी के माध्यम से -III dated 21.04.2004 r/w शुद्धि पत्र दिनांक 29.04.2004 ने सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प (पीआईडीपीआई), 2004 को अधिसूचित किया, जिसने व्हिसल-ब्लोअर्स की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए आयोग को निर्दिष्ट शक्तियां दीं।

In 2004, in response to a Writ Petition (Civil) No. 539/2003 filed after the murder of Shri Satyendra Dubey, the Supreme Court directed that a machinery be put in place for acting on complaints from whistle blowers till a law is enacted. Pursuant to that, the Government of India vide Gazette Notification No. 371/12/2002-AVD-III dated 21.04.2004 r/w Corrigendum dated 29.04.2004 notified the Public Interest Disclosure and Protection of Informers Resolution (PIDPI), 2004 which gave the designated powers to the Commission to act on complaints from whistle-blowers.

पीआईडीपीआई समाधान, 2004 के अनुसरण में, आयोग ने कार्यालय आदेश संख्या 33/5/2004 दिनांक 17.05.2004 के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी किए और पीआईडीपीआई समाधान, 2004 के तहत व्हिसल-ब्लोअर शिकायतें दर्ज करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर सार्वजनिक सूचना दी।

Pursuant to the PIDPI Resolution, 2004, the Commission vide Office Order No. 33/5/2004 dated 17.05.2004 issued guidelines and Public Notice on the procedure to be followed for filing whistle-blower complaints under the PIDPI Resolution, 2004.

2004 के संकल्प के बाद, DoPT ने अधिसूचना संख्या 371/4/2013-AVD.11 दिनांक 14.08.2013 के माध्यम से PIDPI संकल्प में आंशिक रूप से संशोधन किया। संशोधन में, अन्य बातों के साथ, भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारी को किसी भी आरोप पर लिखित शिकायत प्राप्त करने या खुलासा करने के लिए नामित प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया। उस मंत्रालय या विभाग के किसी भी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार या कार्यालय का दुरुपयोग या किसी भी केंद्रीय अधिनियम के तहत स्थापित किसी निगम, सरकारी कंपनियों, सोसायटी या स्थानीय प्राधिकरण जो केंद्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हैं और उस मंत्रालय या विभाग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। संशोधन ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को शिकायतों की निगरानी और निगरानी करने के लिए भी अधिकृत किया है। नामित प्राधिकारी द्वारा पारित संशोधनों में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

Subsequent to the Resolution of 2004, the DoPT vide Notification No. 371/4/2013-AVD.III dated 14.08.2013 partially amended the PIDPI Resolution. The amendment, inter alia, authorized the Chief Vigilance Officer of the Ministries or Departments of Government of India to act as the designated Authority to receive written complaint or disclosure on any allegation of corruption or misuse of office by any employee of that Ministry or Department or of any corporation established by or under any Central Act, Government companies, societies or local authorities owned or controlled by the Central Government and falling under the jurisdiction of that Ministry or Department. The amendment also authorized the Central Vigilance Commission to supervise and monitor the complaints received by the designated authority. The amendments have the following provisions

- ❖ पारा 1ए- भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारी भी उस मंत्रालय या विभाग के किसी भी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर लिखित शिकायत प्राप्त करने या खुलासा करने के लिए नामित प्राधिकारी के रूप में अधिकृत हैं, या किसी केंद्रीय अधिनियम के तहत स्थापित किसी भी निगम, सरकारी कंपनियों, सोसायटी या स्थानीय अधिकारियों के स्वामित्व या नियंत्रण में हैं। केंद्र सरकार द्वारा और उस मंत्रालय या विभाग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

Para 1A- The Chief Vigilance Officers of the Ministries or Departments of the Government of India are also authorized as the designated authority to receive written complaint or disclosure on any allegation of corruption or misuse of office by any employee of that Ministry or Department or of any corporation established by or under any Central Act, Government companies, societies or local authorities owned or controlled by the Central Government and falling under the jurisdiction of that Ministry or the Department.

- ❖ पारा 7ए- या तो शिकायतकर्ता के आवेदन पर, या एकत्रित जानकारी के आधार पर, यदि नामित प्राधिकारी की राय है कि शिकायतकर्ता या गवाहों में से किसी एक को सुरक्षा की आवश्यकता है, तो नामित प्राधिकारी, संबंधित सरकारी अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश जारी करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ इस मामले को उठाएगा।

Para 7A- Either on the application of the complainant, or on the basis of the information gathered, if the designated authority is of the opinion that either the complainant or the witnesses need protection, the designated authority, shall take up the matter with the Central Vigilance Commission, for issuing appropriate directions to the Government authorities concerned.

- ❖ पारा 11ए- समानांतर-केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी वी सी ) नामित प्राधिकारी द्वारा प्राप्त शिकायतों की निगरानी और निगरानी करेगा ।

Para 11A- The Central Vigilance Commission (cvc) shall supervise and monitor the complaints received by the designated authority.


ईमानदारी, सच्चाई और करुणा के खिलाफ, न्याय, झूठ और लालच के खिलाफ अपनी आवाज उठाने से कभी मत डरिए।  
अगर दुनिया भर के लोग...ऐसा करेंगे, इससे पृथ्वी बदल जाएगी।"

"Never be afraid to raise your voice for honesty and truth and compassion against injustice and lying and greed.

If people all over the world ...would do this, it would change the earth"

विलियम फ्रॉकनर

- William Faulkner



## पीआईडीपीआई के अंतर्गत शिकायत निपटारा की प्रक्रिया

### PROCEDURE FOR HANDLING COMPLAINTS UNDER PIDPI



- ❖ पीआईडीपीआई समाधान के तहत प्राप्त शिकायतों को गोपनीय अनुभाग में खोला जाता है और शिकायतकर्ता का नाम और पता छुपाने के बाद प्रत्येक शिकायत के लिए अलग फ़ाइल बनाई जाती है।

Complaints received under PIDPI Resolution are opened in the Confidential Section and separate file for each complaint is created after concealing the name and address of the complainant.

- ❖ जिन शिकायतों को अन्य/कई प्राधिकारियों को संबोधित किया गया है, उन्हें पीआईडीपीआई समाधान के तहत शिकायत के रूप में नहीं माना जाता है और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए गोपनीय अनुभाग द्वारा आयोग के संबंधित अनुभाग को भेज दिया जाता है।

The complaints which have been addressed to other / several authorities are not treated as complaint under PIDPI Resolution and are forwarded by the Confidential Section to the section concerned of the Commission for taking necessary action.

- ❖ पीआईडीपीआई समाधान के तहत प्राप्त गुमनाम और छद्म नाम की शिकायतें भी आयोग की शिकायत निवारण नीति के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आयोग के संबंधित अनुभाग को सीधे भेजी जाती हैं।

Anonymous and Pseudonymous complaints received under PIDPI Resolution are also sent directly to the section concerned of the Commission for taking necessary action under Complaint Handling Policy of the Commission.

- ❖ उन शिकायतों के संबंध में जिन्हें पीआईडीपीआई समाधान के तहत प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त माना जाता है, शिकायतकर्ता को पत्र प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है

In respect of those complaints which are considered fit for processing under PIDPI Resolution, a letter is sent to the complainant to obtain

क) इस बात की पुष्टि कि क्या उसने शिकायत की है।

Confirmation as to be whether he/ she has made the complaint

क) प्रमाण पत्र कि उसने/उसे समान/समान नहीं बनाया है मुखबिरशिकायतकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी अन्य प्राधिकारी पर भ्रष्टाचार/कार्यालय के दुरुपयोग का आरोप।

A certificate that he/ she has not made similar/ identical allegation of corruption / misuse of office to any other authorities to qualify as a Whistle Blower complainant.

ख) शिकायतकर्ता से पुष्टिकरण और प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय-सीमा शिकायतकर्ता द्वारा आयोग के पत्र की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन है।

Prescribed time limit for receiving the confirmation and the certificate from the Complainant is 30 days from the date of receipt of Commission's letter by the complainant.

ग) निर्धारित समय-सीमा के भीतर जवाब न देने की स्थिति में, शिकायतकर्ता को पुष्टिकरण और प्रमाण पत्र आयोग को भेजने के लिए अतिरिक्त दो सप्ताह का समय देते हुए अनुस्मारक जारी किया जाता है।

In case of no response within the prescribed time limit, a reminder is issued, giving additional two weeks' time to the complainant for sending confirmation and the certificate to the Commission.

घ) यदि शिकायतकर्ता की ओर से अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है आयोग की शिकायत निवारण नीति के तहत आवश्यक कार्रवाई के लिए शिकायत आयोग की संबंधित शाखा को भेजी जाती है

If there is still no response from the complainant, the complaint is sent to the Branch concerned of the Commission for necessary action under Complaint Handling Policy of the Commission.

❖ शिकायतकर्ता से प्रमाण पत्र के साथ आवश्यक पुष्टि प्राप्त करने के बाद, शिकायत को निर्णय के लिए स्क्रीनिंग समिति के समक्ष रखा जाता है।

After receiving necessary confirmation along with the certificate from the complainant, the complaint is placed before the Screening Committee for decision.

❖ स्क्रीनिंग समिति की अध्यक्षता सचिव करते हैं और आयोग के अपर सचिव सदस्य होते हैं। स्क्रीनिंग समिति सभी शिकायतों की जांच करती है और जांच और रिपोर्ट (1&आर)/ आवश्यक कार्रवाई (एनए)/फाइलिंग के लिए शिकायतों की सिफारिश करती है।

The Screening Committee is headed by the Secretary and the Additional Secretaries of the Commission are members. The Screening Committee examines all complaints and recommends complaints for Investigation and Report (1&R)/ Necessary Action (NA)/ Filing.

❖ स्क्रीनिंग समिति शिकायत को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित शाखा को भेजती है। शिकायतों को जांच के लिए अनुशंसित किया जाता है और आयोग की मंजूरी के बाद आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट संबंधित शाखा को भेजी जाती है। आयोग ने कार्यालय आदेश संख्या 4/2/09



दिनांक 27.02.2009 के माध्यम से आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्राप्ति की तारीख से लेकर आयोग के संदर्भ तक एक महीने की अवधि निर्धारित की है। इसके लिए रिपोर्ट सबमिट करने का मिशन।

Screening Committee refers the complaint to the concerned Branch for further action. Complaints recommended for investigation and report are sent to the concerned Branch for further action after approval of the Commission. The Commission, vide Office Order No. 4/2/09 dated 27.02.2009, has prescribed a period of one month from the date of receipt of reference of the Commission for submitting report to it.



## मुखबिरो की सुरक्षा

## PROTECTION TO WHISTLE BLOWERS

❖ पीआईडीपीआई संकल्प के अनुसार, मुखबिरो की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

According to the PIDPI Resolution, following provisions have been made for protection of Whistle Blowers:

- खंड 6-यदि कोई व्यक्ति इस तथ्य के कारण पीड़ित हो रहा है कि उसने शिकायत या प्रकटीकरण दायर किया है, तो वह इस आधार पर किसी भी कार्रवाई से दुखी है, वह निर्दिष्ट अधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर कर सकता है। एजेंसी/नामित प्राधिकारी (पूर्व संध्या) जो इस मामले में समाधान चाहता है, कौन जैसी उचित समझी जाएगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। नामित एजेंसी/नामित प्राधिकारी संबंधित लोक सेवक या लोक प्राधिकार को उचित दिशा-निर्देश दे सकता है

Clause 6 - If any person is aggrieved by any action on the ground that he is being victimized due to the fact that he had filed a complaint or disclosure, he may file an application before the designated agency/designated Authority (cvc) seeking redress in the matter, who shall take such action as deemed fit. The designated agency/designated authority may give suitable directions to the concerned public servant or the public authority as the case may be.

- खंड 7-या तो शिकायतकर्ता के आवेदन पर, या एकत्रित जानकारी के आधार पर, यदि नामित एजेंसी/नामित प्राधिकारी की राय है कि शिकायतकर्ता या गवाहों में से किसी एक को सुरक्षा की आवश्यकता है, तो नामित एजेंसी/नामित प्राधिकारी संबंधित सरकारी अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करेगा।

Clause 7 - Either on the application of the complainant, or on the basis of the information gathered, if the designated agency/ designated authority is of the opinion that either the complainant or the witnesses need protection, the designated agency/designated authority shall issue appropriate directions to the concerned Government authorities.

- खंड 11-नामित एजेंसी/नामित प्राधिकारी के निर्देशों के विपरीत सूचना देने वाले की पहचान उजागर होने की स्थिति में नामित एजेंसी को ऐसा खुलासा करने वाले व्यक्ति एजेंसी के खिलाफ मौजूदा नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

Clause 11 - In the event of the identity of the informant being disclosed in spite of the designated agency's/designated authority's directions to the contrary, the designated agency is authorised to initiate appropriate action as per extant regulations against the person or

agency making such disclosure

- ❖ मुखबिरोँ से उनके जीवन को खतरे के बारे में प्रस्तुतिकरण प्राप्त होने के बाद, इस मामले को गृह मंत्रालय, नोडल एजेंसी के साथ उठाया गया ताकि वास्तविक मुखबिरोँ को सुरक्षा कवर प्रदान करने की जिम्मेदारी ली जा सके। गृह मंत्रालय के प्रमुख उपाध्यक्ष, राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश ने नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। राज्य सरकारों द्वारा नामांकित ऐसे अधिकारियों का विस्तृत विवरण समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा आयोग को प्रस्तुत किया जाता है।

cvc, after receipt of representation(s) from Whistle Blowers about threat to their life, takes up the matter with the Ministry of Home Affairs, the Nodal Agency, to undertake the responsibility of providing security cover to the genuine Whistle Blowers. On the advice of the Ministry of Home Affairs, State Governments / UTs have appointed Nodal Officers and details of such officers nominated by State Governments are furnished to the Commission from time to time by the Ministry of Home Affairs.

- ❖ विभाग के भीतर उत्पीड़न या उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा के संबंध में आयोग मुखबिर की ऐसी शिकायतों को उचित कार्रवाई के लिए संबंधित संगठन के सीवीओ को भेजता है।

As regards protection against victimization or harassment within the Department, the Commission forwards such complaints of Whistle Blowers to the CVO of the concerned organization for appropriate action.

## सारांश Summary

### पीआईडीपीआई संकल्प

### PIDPI RESOLUTION

- ❖ केंद्रीय सरकार या किसी केंद्रीय अधिनियम के तहत स्थापित किसी भी निगम, केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली सरकारी कंपनियों, समाजों या स्थानीय अधिकारियों के किसी भी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर लिखित शिकायत प्राप्त करने या खुलासा करने के लिए नामित एजेंसी / नामित प्राधिकारी है।

The cvc is the designated agency/ designated authority to receive written complaints or disclosure on any allegation of corruption or of mis-use of office by any employee of the Central Government or of any corporation established under any Central Act, government companies, societies or local authorities owned or controlled by the Central Government.

- ❖ नामित एजेंसी/नामित प्राधिकारी शिकायतकर्ता की पहचान का सत्यापन करेगा। यदि शिकायत अज्ञात है, तो वह इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगी।

The designated agency/designated authority will verify the identity of the complainant. If the complaint is anonymous, it shall not take any action in the matter.

- ❖ शिकायतकर्ता की पहचान तब तक उजागर नहीं की जाएगी जब तक कि शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत का विवरण सार्वजनिक नहीं कर दिया हो या अपनी पहचान किसी अन्य कार्यालय को प्रकट नहीं कर दी हो।

The identity of the complainant will not be revealed unless the complainant has made either the details of the complaint public or disclosed his identity to any other office.

- ❖ आयोग आगे की रिपोर्ट/जांच के लिए बुलाते समय सूचनादाता की पहचान का खुलासा नहीं करेगा और संगठन के संबंधित प्रमुख से सूचनादाता की गुप्त पहचान बनाए रखने का भी अनुरोध करेगा, चाहे वह किसी भी कारण से नोटिस दे।

The Commission shall not disclose the identity of the informant while calling for further report/investigation and also shall request the concerned head of the organization to keep the identity of the informant a secret, if for any reason it comes to notice.

- ❖ आयोग को प्राप्त शिकायत के अनुसार जांच पूरी करने के लिए आवश्यक समझे जाने पर सीबीआई या पुलिस अधिकारियों को सभी सहायता प्रदान करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

The Commission shall be authorized to call upon the CBI or the police authorities, as considered necessary, to render all assistance to complete the investigation pursuant to the complaint

received.

- ❖ यदि कोई व्यक्ति इस तथ्य के कारण पीड़ित हो रहा है कि उसने शिकायत दर्ज कराई है या खुलासा किया है, तो वह इस मामले में निवारण की मांग करते हुए आयोग के समक्ष एक आवेदन दाखिल कर सकता है जिसमें आयोग संबंधित व्यक्ति या प्राधिकारी को उचित दिशा-निर्देश दे सकता है। यदि आयोग की राय है कि शिकायतकर्ता या गवाहों को सुरक्षा की आवश्यकता है, तो वह सम्बंधित सरकारी अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करेगा

If any person is aggrieved by any action on the ground that he is being victimized due to the fact that he had filed a complaint or disclosure, he may file an application before the Commission seeking redress in the matter, wherein the Commission may give suitable directions to the concerned person or the authority. If the Commission is of the opinion that either the complainant or the witnesses need protection, it shall issue appropriate directions to the concerned government authorities.

- ❖ यदि आयोग को शिकायत प्रेरित या परेशान करने वाली लगती है, तो वह उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है।

In case the Commission finds the complaint to be motivated or vexatious, it shall be at liberty to take appropriate steps.

- ❖ आयोग ऐसे भी खुलासे पर विचार नहीं करेगा या पूछताछ नहीं करेगा जिसके संबंध में लोक सेवक पूछताछ अधिनियम, 1850 के तहत औपचारिक और सार्वजनिक जांच का आदेश दिया गया है, या जो मामला जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत जांच के लिए भेजा गया है।

The Commission shall not entertain or inquire into any disclosure in respect of which a formal and public inquiry has been ordered under the Public Servants Inquiries Act, 1850, or a matter that has been referred for inquiry under the Commissions of Inquiry Act, 1952.

- ❖ आयोग के निर्देशों के विपरीत सूचना देने वाले की पहचान उजागर होने की स्थिति में, ऐसा खुलासा करने वाली एजेंसी के खिलाफ मौजूदा नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

In the event of the identity of the informant being disclosed in spite of the Commission's directions to the contrary, it is authorized to initiate appropriate action as per extant regulations against the person or agency making such disclosure.

“बात की सच्चाई यह है कि आप हमेशा सही काम करना जानते हैं। बस ऐसा करना मुश्किल होता है।”

"The truth of matter is that you always know the right thing to do

The hard part is doing it"-

रॉबर्ट एच शूलर

Robert H Schuller

## महत्वपूर्ण परिपत्रों की सूची

### List of few Important Circulars

निम्नलिखित परिपत्र वेबसाइट पर उपलब्ध है ([www.cvc.gov.in](http://www.cvc.gov.in))

The following circulars are available on website: [www.cvc.gov.in](http://www.cvc.gov.in)

CVC > **Citizen's Corner** > Whistle Blower Complaint

विवरण / Description	तारीख/Date
पीआईडीपीआई संकल्प पर भारत का राजपत्र (संशोधन के साथ पढ़ें) The Gazette of India on PIDPI Resolution (read with amendments)	21-04-2004 29-04-2004 29-08-2013
सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिर की सुरक्षा पर भारत सरकार का संकल्प CVC कार्यालय आदेश स. 33/5/2004 cvc office order No. 33/5/2004 on "Govt. of India Resolution on Public Interest Disclosures & Protection of informer".	17-04-2004
सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिर की सुरक्षा पर भारत सरकार का संकल्प CVC कार्यालय आदेश स. No. 4/2/09 cvc office order No. 4/2/09 on "Govt. of India Resolution on Public Interest Disclosures & Protection of Informer".	17-02-2009
सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिर की सुरक्षा पर भारत सरकार का संकल्प- पीआईडीपीआई शिकायत सम्बंधित जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी हेतु कार्यालय आदेश स. 9/5/09 cvc Circular No. 9/5/09 on "Govt. of India Resolution on Public Interest Disclosures & Protection of Informer-Delay in submission of Investigation report on PIDPI complaint-reg."	12-05-2009
सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिर की सुरक्षा पर भारत सरकार का संकल्प- दिशानिर्देश CVC कार्यालय आदेश स. No. 4/2/12 cvc office order No. 4/2/12 on "Gol Resolution on Public Interest Disclosures & Protection of Informer (PIDPI)-Guideline thereon".	13-02-2012

<p>DOPT OM NO. 371/4/2013-AVD- III विषय पर भारत सरकार के संकल्प स. 89 का संशोधन जो भारत के राजपत्र भाग के खंड 1 असाधारण दिनांक 21 अप्रैल 2004 में प्रकाशित हुआ (शुधिपत्र दिनांक 29 अप्रैल 2004 के साथ पढ़े) जिसे आमतौर पर जनहित प्रकटीकरण मुखबिरों की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) संकल्प के रूप में जाना जाता है – के संबंध में</p> <p>DOPT OM NO. 371/4/2013-AVD-III on subject "Amendment of Government of India's Resolution No.89 published in the Gazette of India Part I Section 1, Extraordinary dated 21St April,2004(read with corrigendum dated 29th April,2004) commonly known as the Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) Resolution-regarding".</p>	<p>03-09-2013</p>
<p>DOPT OM NO.371/4/2013-AVD-III विषय पर भारत सरकार के संकल्प स. 89 का संशोधन जो भारत के राजपत्र भाग के खंड 1 असाधारण दिनांक 21 अप्रैल 2004 में प्रकाशित हुआ (शुधिपत्र दिनांक 29 अप्रैल 2004 के साथ पढ़े) जिसे आमतौर पर जनहित प्रकटीकरण मुखबिरों की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) संकल्प के बारे में</p> <p>DOPT OM NO.371/4/2013-AVD-III on subject "Amendment of Government of India's Resolution No. 89 published in the Gazette of India Part I Section 1, Extraordinary dated 21 St April,2004{read with corrigendum dated 29th April,2004) commonly known as the Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) Resolution-regarding".</p>	<p>16-06-2014</p>
<p>सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिर की सुरक्षा पर भारत सरकार का संकल्प- पीआईडीपीआई शिकायत सम्बंधित जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी हेतु कार्यालय आदेश स. 12/9/18</p> <p>cvc circular order No.12/9/18on "Govt. of India Resolution on Public Interest Disclosures &amp;Protection of Informer-reg."</p>	<p>28-09-2018</p>
<p>Cvc आयोग के स्क्रीनिंग समिति द्वारा पीआईडीपीआई शिकायतों का प्रसंस्करण पर सार्वजनिक सूचना- हेतु</p> <p>cvc public notice on "Processing of PIDPI complaints by the Screening Committee of the Commission - Reg."</p>	<p>24-04-2019</p>
<p>Cvc आयोग के स्क्रीनिंग समिति द्वारा पीआईडीपीआई शिकायतों का प्रसंस्करण पर सार्वजनिक सूचना-हेतु</p> <p>cvc public notice on "Processing of PIDPI Complaints by the Screening Committee of the Commission- Reg."</p>	<p>30-07-2021</p>